राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनिवास बनाम केसर देवी 1995/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 पारित करते हुये तहसीलदार जालसू को ग्राम शेरावतपुरा, पटवार हल्का मुन्डोता भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र, रोजदा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 77 में अंकित खसरा नम्बर 57 रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की समुचित तामील करवाये बगैर ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होते है | अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे पक्षकारान की समुचित तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों को विवेचित कर विश्लेषणात्मक निर्णय व डिक्री पारित करते, किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामनिवास बनाम केसर देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाता है कि वे अपीलार्थी को भी सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उद्धरित तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर